महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC Comp.(S/W)-(2013-14) / 628 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0 अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // अगस्त, 29, 2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अपर सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, राजस्व विभाग, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 5301 दिनांक 14-06-2013 द्वारा यह सूचित किया गया है कि GSTN की ओर से GSTIN हेतु कार्य कर रही संस्था सर्वश्री NSDL द्वारा उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत एवं क्रियाशील व्यापारियों के PAN का विश्लेषण करने पर मात्र 46% व्यापारियों के PAN सत्यापन के बाद सही पाये गये हैं। पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि GST को देश में सुगमता से लागू करने हेतु व्यापारियों की पहचान करने तथा GSTIN जारी करने के लिए PAN सम्बन्धी आंकड़ों को प्राथमिकता के आधार पर सही कराते हुए सत्यापित कराया जाये। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-मा0स05/ग्यारह-2-2013-9(190)109टी0सी0 दिनांक 24-06-2013 द्वारा समयबद्ध रुप से प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।

2- उपरोक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि आई0टी0 अनुभाग के पत्र संख्या-900 दिनांक 18-01-2011 द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि वैट में निर्धारित मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्नों के प्रारुप में संशोधन करके इसमें PAN नम्बर का एक कालम बढ़ा दिया गया है। तद्नुसार VYAS माड्यूल में भी परिवर्तन करके रिटर्न व रसीद के प्रारुपों में भी PAN नम्बर की फील्ड बढ़ा दी गयी है जो दिनांक 01-01-2011 के बाद दाखिल किये जाने वाले रिटर्नों में अनिवार्य रुप से भरी जायेगी। अत: माह जनवरी में प्राप्त होने वाले रिटर्नों के साथ PAN नम्बर अवश्य लिया जाय। एक बार सर्वर में PAN नम्बर का विवरण आ जाने के बाद यह रसीद में स्वत: प्रदर्शित होने लगेगा तथा बाद में दाखिल होने वाले रिटर्नों में इसका विवरण भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई0टी0 अनुभाग के पत्र संख्या-589 दिनांक 20-10-2011 द्वारा पुन: उक्त निर्देशों को संज्ञान में लाते हुए विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के PAN संग्रहण का कार्य दिनांक 31-12-2011 तक पूर्ण करने के स्पष्ट निर्देश दिये गये थे।

3- इसी क्रम में आई0टी0 अनुभाग के पत्र संख्या-724 दिनांक 02-12-2011 में व्यापारियों द्वारा PAN उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा कतिपय व्यापारियों के उपलब्ध कराये गये PAN का मिलान CBDT के डाटाबेस से नही होने की दशा में यह निर्देश दिये गये थे कि जिन व्यापारियों के PAN का मिलान CBDT के डाटाबेस से नही हो पा रहा है उन PAN को सही करा लिया जाये तथा जिन व्यापारियों द्वारा PAN उपलब्ध नही कराये गये हैं, उनके PAN प्राप्त कर लिये जायें। उक्त पत्र में मिलान न हो सकने वाले PAN की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध होने की भी सूचना दी गयी थी।

4- उक्त पत्र दिनांक 02-12-2011 में यह भी सूचित किया गया था कि कर निर्धारण अधिकारी PAN नम्बरों के सत्यापन के पश्चात व्यापारियों के TIN व PAN के विवरण की सूची पंजीयन प्रकोष्ठ के प्रभारी को आनलाइन अपडेट करने हेतु उपलब्ध करायेंगे तथा यह कार्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31-12-2011 तक पूर्ण

mu

क्रमश: पृष्ठ--2 पर

किया जाय परन्तु भारत सरकार के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 14-06-2013 में व्यक्त स्थिति से ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को पर्याप्त गम्भीरता एवं लगन से सम्पादित नहीं किया गया है।

5- विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ो के विश्लेषण पर निम्न स्थिति पायी गयी :-

	PAN not in CBDT	PAN provided but structurally invalid	PAN not provided	VAT name mismatch	Matched correctly
Total	27055	67344	317577	47567	207313

उक्त से स्पष्ट है कि सबसे अधिक संख्या PAN न देने वाले व्यापारियों की है तथा Invalid PAN भी काफी अधिक संख्या में है।

6- इस सम्बन्ध में निर्देश दिये जाते है कि दिनॉक 01-09-2013 से 30-09-2013 तक के मध्य जो भी प्रपत्र दाखिल होंगे उनकी पावती रसीद पर PAN दाखिल न होने या त्रुटिपूर्ण होने का संदेश अंकित हो जायेगा। ऐसे व्यापारी 30-09-2013 तक अपने PAN की स्व सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करते हुए उसकी रसीद प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। व्यापारी सहायता केन्द्र में कार्यरत कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सम्बन्धित PAN की प्रविष्टि व्यापारी के अभिलेखों में PAN की फील्ड में तत्काल अंकित कर दी जाये।

7- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 30-09-2013 तक स्व सत्यापित PAN की छाया प्रति प्रस्तुत न करके PAN शुद्ध न कराने की दशा में सम्बन्धित फर्म की पावती रसीद ब्लाक हो जायेगी एवं इसके पश्चात् बिना PAN के प्रस्तुतीकरण के कोई रसीद जारी नही हो पायेगी।।

8- यह भी अवगत कराना उचित होगा कि उक्त कार्य शासन की प्राथमिकता से सम्बन्धित है। विभागीय वेबसाइट comtaxup.nic.in पर PAN न देने वाले अथवा त्रुटिपूर्ण PAN देने वाले व्यापारियों की सूची अधिक्षेत्रवार उपलब्ध है। अत: इस दिशा में सभी अधिकारी अपने अपने अधिक्षेत्र के व्यापारियों को PAN के प्रस्तुतीकरण हेतु प्रेरित करते हुए यह कार्य व्यक्तिगत रुचि लेकर निष्पादित कराया जाना सुनिश्चित करें।

9- यह भी अवगत कराना है कि प्रत्येक फर्म / कम्पनी को फर्म तथा कम्पनी के PAN का प्रस्तुतीकरण करना है। अत: यदि किसी व्यापारी द्वारा फर्म के PAN के स्थान पर साझीदारों अथवा डाइरेक्टर के PAN पूर्व में संसूचित किये गये है तो वह अब फर्म / कम्पनी के लिए जारी PAN की प्रति उक्त प्ररिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। यदि इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई है, तो वे इस सम्बन्ध में, सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) से सम्पर्क करके वस्तुस्थिति स्पष्ट करेंगे और यथाशीघ्र उक्त सम्बन्धित कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

27.8.2013

(मृत्युन्जय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृप0सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि - संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को शासन के पत्र संख्या-मा0स0-5/ग्यारह-2-2013-9(190)109टी0सी0 दिनांक 24-06-2013 के क्रम में प्रेषित।

(शशि भूषण सिंह)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर
मुख्यालय, लखनऊ।